

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/साप्र/सी/भामा/2773/2019/

दिनांक : 08/05/2019

01. समस्त संयुक्त निदेशक,संभाग कार्यालय, स्कूल शिक्षा
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कार्यालय

विषय:-राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2019 आयोजन के संबध में दिशा निर्देश।

प्रसंग:- राज्य सरकार का पत्रांक प.17(11) शिक्षा-6/2010/ पार्ट दिनांक 13.03.18 के क्रम में।

निदेशालय,प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/कॉलेज शिक्षा/संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों /माध्यमिक/उ०मा० विद्यालयों/ राजकीय संस्कृत विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों में समय-समय पर दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में प्रतिवर्ष की भांति 28, जून, 2019 को एक भव्य/गरिमापूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम राज्य की राजधानी जयपुर में आयोजित कर इन्हें सम्मानित किया जायेगा।

राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के संबध में शासन से प्राप्त पत्र दिनांक 13.03.2018 के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए 15 लाख रुपये एवं इससे अधिक धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को भामाशाह दिवस 28.06.19 को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है:-

(अ) शिक्षा भूषण - 15 लाख रुपये एवं इससे अधिक व 1 करोड रुपये तक।

(ब) शिक्षा विभूषण - एक करोड रुपये से अधिक

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के संबध में ऐसे दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों के लिए इस सम्मान समारोह से संबधित समस्त कार्य नोडल अधिकारी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाना है।

2. इस वर्ष आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.03.19 तक की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्मित शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रूप में 15 लाख रुपये एवं इससे अधिक धनराशि का सहयोग उक्त निर्धारित अवधि में किया है, सम्मान हेतु पात्र होंगे।
3. भामाशाहों/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों को इस कार्य की प्रेरणा/प्रेरित करने वाले प्रेरकों के लिए दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.03.19 तक की अवधि में 30 लाख रुपये एवं इससे अधिक धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने एवं उनके द्वारा प्रेरित दानदाता इस वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में सम्मान हेतु चयनित होने पर ही चयन का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। प्रेरक के संबध में वर्णित अवधि से पहले का सहयोग मान्य नहीं होगा।



4. उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों की श्रेणी में आने वाले दानदाताओं के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा की अनुशंषा सहित निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22.05.19 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व की भांति राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के उस जिले से संबंधित जिशिअ मुख्यालय, प्राशि द्वारा ऐसे प्रस्ताव सीधे निदेशक (प्राशि) बीकानेर को भिजवाये जाने हैं, तथा उस जिले के माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों/संस्थानों के प्रस्ताव संबंधित जिले के जिशिअ मुख्यालय (माशि) संकलित कर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजेगें। अतः समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारिय मुख्यालय, प्रारंभिक/माध्यमिक को पाबंद किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिले में स्थित विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में सहयोग करने वाले दानदाताओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जाँच कर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. न्यूनतम 15 लाख एवं इससे अधिक धनराशि का निर्धारित अवधि में राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं के ही प्रस्ताव अनुशंषित कर भिजवाये। यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है या केवल भूमि दान में दी है तो उनके द्वारा निर्मित भवन/भूमि का विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशंषित कर नहीं भिजवाये जावें।
6. यदि किसी दानदाता ने भवन/भूमि दान में दी है तो दान में दिए गए भवन/भूमि के दानपत्र की प्रति के साथ उक्त भवन/भूमि की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमानित लागत विवरण की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।
7. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संबंधित विद्यालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा की संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साज सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है।
8. यदि किसी दानदाता ने भवन निर्माण, अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी/मरम्मत/ के रूप में सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित विवरण सक्षम अधिकारी (विभाग में कार्यरत कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता) के अनुमानित लागत विवरण पत्र/सहयोग राशि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न करें। इसी प्रकार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति/पुस्तकालय हेतु सहयोग राशि के संबंध में भी निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न संलग्न करें।
9. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय ऐसे मूल दानदाता के ही भेजे जावे। इनका सम्मान उनके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे जिसके लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अधिकृत कर उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
10. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट, संस्था या कंपनी है तो इन्हें दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम से ही दिया जाएगा।



11. जन सहभागी विधालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत 15 लाख रुपये एवं इससे अधिक राशि का विधालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे।
12. भामाशाहों के प्रस्तावों के साथ संबंधित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) आवश्यक रूप से संलग्न करावें। यदि सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
13. वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल, 18 से 31 मार्च, 19 तक) की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित की गई अवधि में तथा निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप प्रेरकों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही भेजे। दानदाता द्वारा भामाशाह सम्मान हेतु किये गये आवेदन पत्र में संबंधित प्रेरक का नाम प्रेरित की गयी राशि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने की स्थिति में ही आवेदन पर विचार किया जायेगा। यदि किसी प्रेरक ने एक से अधिक दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किया है तो उनके द्वारा प्रेरित भामाशाहों के कुल सहयोग की राशि 30 लाख रुपये एवं इससे अधिक होने एवं प्रेरक द्वारा प्रेरित भामाशाह हेतु आयोजित समारोह में सम्मान के लिए चयनित होने पर ही प्रेरक को सम्मान हेतु चयनित किया जायेगा। प्रेरकों के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक अपनी अनुशंषा इन निर्देशों के अनुरूप भली भांति परीक्षण कर पात्र पाए जाने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे। संबंधित संयुक्त निदेशक प्रेरकों के प्रस्ताव जो राज्य स्तर पर सम्मानित होने हेतु पात्र है को अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्धारित दिनांक 22.05.2019 तक भिजवायेंगे।
14. कतिपय ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक दानदाताओं ने निर्धारित राशि का सहयोग किया है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित दानदाता से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें कि किस भामाशाह को सम्मानित किया जाना है। विभाग द्वारा केवल एक दानदाता को ही सम्मानित किया जायेगा यदि एक से अधिक दानदाताओं ने संयुक्त रूप से सहयोग किया है तो दानदाता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर ही उनके द्वारा सहमत दानदाता को सम्मानित किया जावेगा। प्रशस्ति पुस्तिका में सम्मानित होने वाले ही दानदाता का फोटो एवं परिचय प्रकाशित किया जावेगा।
15. यदि दानदाताओं ने एक से अधिक विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में सहयोग किया है तो दानदाता द्वारा इनका विवरण अंकित करते हुए एक ही आवेदन पत्र भरकर भिजवाया जावे। अलग-अलग आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
16. जहां तक संभव हो सके भामाशाहों/प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटराईज्ड/टाईप कराकर ही भिजवावें।
17. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जनप्रतिनिधी को प्रेरक के रूप में सम्मान हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जावे।
18. भामाशाह एवं प्रेरकों को सम्मान हेतु चयन बाबत निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी भामाशाह एवं प्रेरक का प्रस्ताव सम्मान हेतु चयनित नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और न ही चयन नहीं किये जाने के कारण से उन्हें सूचित किया जावेगा।
19. मुख्यमंत्री जन सहभागिता विधालय विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डानुसार योगदान/सहयोग करने वाले दानदाता भी इस समारोह में सम्मानित होने के लिए पात्र होंगे।



20. ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(7)शिक्षा- /2014 दिनांक 11.01.17के द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु ज्ञान पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है (नए दिशा निर्देश) इस योजनान्तर्गत भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए योगदान करने एवं निर्धारित पात्रता पूरी करने पर भामाशाह सम्मान समारोह हेतु भी पात्र होंगे। परन्तु उक्त पत्र दिनांक 11.01.17 के अनुसार प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के माध्यम से सहयोग, प्रकरण में दानदाताओं के भामाशाह पुरस्कार हेतु प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा समेकित कर ये प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे जावे एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक समेकित कर प्रस्ताव की सूची मय विवरण/अनुशंषा सहित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भिजवायेगें।
21. तीस लाख रुपये एवं इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रेरक के रूप में सम्मानित किया जायेगा, तथा ऐसे प्रेरकों के संबंध में दानदाताओं द्वारा प्रस्तुत भामाशाह सम्मान समारोह हेतु किये गये आवेदन में प्रेरक के नाम की स्पष्ट अनुशंषा आवश्यक होगी।
22. दान एवं सहयोग राशि के लिए एक विद्यालय को एक ईकाई माना जायेगा।
23. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में संबंधित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाये जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर की जायेगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय,प्रारम्भिक/माध्यमिक को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अनुशंषा की जाएगी।
24. इस परिपत्र के साथ राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्तावों के आवेदन पत्रों का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। जिसे पूर्ण भरवाकर दो फोटो सहित प्रस्ताव समेकित कर भामाशाहों के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रा0शि0/मा0शि0 एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को 15.05.19 तक उपलब्ध करवायेगें एवं संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा निर्धारित तिथि 22.05.2019 तक निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को भिजवायेंगे। भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के साथ पूर्ण विवरण सहित वांछनीय दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें। संबंधित भामाशाह/प्रेरक की एक फोटो फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर एवं एक फोटो "यू" पिन के साथ फार्म के साथ संलग्न कर भिजवानी है। "यू" पिन के साथ भेजी जाने वाली फोटो के पीछे संबंधित दानदाता/ प्रेरक का पूरा नाम पता अवश्य लिखा जावे।



25. निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के फार्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने आवश्यक है। आधे अधूरे अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं। यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित मंडल अधिकारी का होगा। अतः हर संभव प्रयास कर निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु पाबंद किया जाता है।

संलग्न:- भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र


निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा)विभाग
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं पंचायतराज विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. आयुक्त, कालेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. सिस्टम एनेलिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. प्रभारी, विभागीय वेबसाईट, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा)विभाग
राजस्थान बीकानेर